



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 30, 2007 / भाद्र 8, 1929

No. 38]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 30, 2007 / BHADRA 8, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 30th August, 2007/8 Bhadra, 1929 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 29th August, 2007 and is hereby published for general information:—

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER (AMENDMENT) ACT, 2007

No. 31 OF 2007

[29th August, 2007.]

An Act further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2007.

Short title.

2. In the Schedule to the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950,—

(a) in PART V.—*Haryana*,—

(i) for entry 5, substitute—

"5. Batwal, Barwala";

(ii) for entry 24, substitute—

"24. Megh, Meghwal";

(b) in PART VIII.—*Kerala*, for entry 61, substitute—

Amendment
of the
Schedule.

“61. Thandan (excluding Ezhuvas and Thiyyas who are known as Thandan, in the erstwhile Cochin and Malabar areas) and (Carpenters who are known as Thachan, in the erstwhile Cochin and Travancore State)”;

(c) in PART IX.—*Madhya Pradesh*, for entry 2, substitute—

“2. Bagri, Bagdi (excluding Rajput, Thakur sub-castes among Bagri, Bagdi)”;

(d) in PART X.—*Maharashtra*,—

(i) for entry 8, substitute—

“8. Basor, Burud, Bansor, Bansodi, Basod”;

(ii) for entries 11 and 12, substitute—

“11. Bhambi, Bhambhi, Asadaru, Asodi, Chamadia, Chamar, Chamari, Chambhar, Chamgar, Haralayya, Harali, Khalpa, Machigar, Mochigar, Madar, Madig, Mochi, Telegu Mochi, Kamati Mochi, Ranigar, Rohidas, Nona, Ramnami, Rohit, Samgar, Samagara, Satnami, Surjyabanshi, Surjyaramnami, Charmakar, Pardeshi Chamar;

12. Bhangi, Mehtar, Olgana, Rukhi, Malkana, Halalkhor, Lalbegi, Balmiki, Korar, Zadmalli, Hela”;

(e) in PART XIII.—*Orissa*,—

(i) for entry 19, substitute—

“19. Chamar, Chamara, Chamar-Ravidas, Chamar-Rohidas, Mochi, Muchi, Satnami”;

(ii) for entry 42, substitute—

“42. Kandra, Kandara, Kadama, Kuduma, Kodma, Kodama”;

(f) in PART XIV.—*Punjab*, after entry 38, insert—

“39. Mahatam, Rai Sikh”;

(g) in PART XXIII.—*Chhattisgarh*, after entry 43, insert—

“44. Turi”.

BRAHM AVTAR AGRAWAL,
Additional Secretary to the Govt. of India.

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 31)

[29 अगस्त, 2007]

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007 संक्षिप्त नाम।

2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में, —

अनुसूची का
संशोधन।

(क) भाग 5. — हरियाणा में, —

(i) प्रविष्टि 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, —

“5. बटवाला, बरवाला”;

(ii) प्रविष्टि 24 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

“24. मेघ, मेघबाल”;

(ख) भाग 8. — केरल में, प्रविष्टि 61 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

“61. तण्डान (उन ईयूवास और तियास को छोड़कर जो तत्कालीन कोचीन और मालावार क्षेत्रों में तण्डान के नाम से ज्ञात हैं) और (बढ़ई जो तत्कालीन कोचीन और ट्रावनकोर राज्य में तच्चन के नाम से ज्ञात हैं);”

(ग) भाग 9. — मध्य प्रदेश में, प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

“2. बागरी, बागड़ी (बागरी, बागड़ी में राजपूत, ठाकुर उपजातियों को छोड़कर);”

(घ) भाग 10. — महाराष्ट्र में,—

(i) प्रविष्टि 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

“8. बसोर, बुरुड, बांसोर, बांसोडी, बासोड”;

(ii) प्रविष्टि 11 और प्रविष्टि 12 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

“11. भांबी, भंभी, असादरू, असोदी, चमाड़िया, चमार, चमारी, चंभार, चामगार, हरलय्या, हरली, खलपा, मचीगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची, तेलगु मोची, कामाटी मोची, राणीगार, रोहिदास, नोना, रामनामी, रोहित, समगर, सामगार, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्य रामनामी, चर्मकार, परदेशी चमार;

12. भंगी, मेहतर, ओलगना, रूखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मिकी, कोरार, झाड माली, हेला”;

(ङ) भाग 13. — उड़ीसा में,—

(i) प्रविष्टि 19 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

“19. चमार, चमारा, चमार-रविदास, चमार-रोहिदास, मोची, मुची, सतनामी”;

(ii) प्रविष्टि 42 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

“42. कंडरा, कंडारा, कदम, कुडुमा, कोडमा, कोडामा”;

(च) भाग 14. — पंजाब में, प्रविष्टि 38 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,—

“39. महातम, राय सिख”;

(छ) भाग 23. — छत्तीसगढ़ में, प्रविष्टि 43 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,—

“44. तुरी”।